न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– अनिल कुमार वार्ष्णेय (आर0 ए0 एस0)

प्रा0पत्र संख्या :– 11/2017 (बाजदायरी)
आरसीएमएस संख्या :–2017/00283

उनवान

रामजीलाल पुत्र दुलीचन्द कौम ठाकुर आयु करीब 65 वर्ष निवासी गॉव नदोरा तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर।

बनाम

1. कालीचरन पुत्र तेज सिंह
2. रामलाल पुत्र दुलीचन्द
3. रामभरोसी पुत्र सिरिया

} कौम ठाकुर निवासी गॉव नदोरा तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर।

4. प्रबन्धक एस0बी0बी0जे0 शाखा राजाखेडा जिला धौलपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 एवं धारा 151 जा0दी0, बाबत् पुनः नम्बर पर लेने अपील संख्या 12/2016 उनवानी रामजीलाल बनाम कालीचरन।

अभिभाषक :–
1. अधिवक्ता प्रार्थी श्री शीतल प्रसाद जैन उपस्थित।
2. अधिवक्ता अप्रार्थी श्री अम्बरीश कुमार श्रीवास्तव उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 17.05.2018

1. यह बाजदायरी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के आदेश दिनांक 16.06.2017 के विरूद्ध पेश किया गया है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 16.06.2017 से अपील संख्या 12/2016 उनवानी रामजीलाल बनाम कालीचरन, रैस्पो0 की तलवी हेतु रजिस्टर्ड सम्मन तलवाना पेश नहीं करने एवं बार–बार आवाज दिलवाये जाने के बाबजूद अपीलाण्ट अथवा अभिभाषक अपीलाण्ट के उपस्थित नहीं होने के कारण अदम हाजरी, अदम पैरवी एवं अदम तकमील में खारिज की गई थी। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलाण्ट/प्रार्थी ने यह बाजदायरी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

2. बाजदायरी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्यायालय हाजा की पत्रावली को शामिल मिसल किया गया एवं अप्रार्थी को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना– पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपील मुख्यालय भरतपुर पर, भरतपुर के ही अभिभाषक श्री मुरारीलाल तिवारी द्वारा पेश की गयी थी एवं भरतपुर मुख्यालय से अग्रिम पेशी दिनांक 13.10.2016 कैम्प धौलपुर में नियत की गयी। भरतपुर के अभिभाषक द्वारा अपील में कैम्प धौलपुर की पेशी की जानकारी, प्रार्थी/अपीलाण्ट को नहीं दी गयी। जिस कारण ना तो प्रार्थी/अपीलाण्ट को अग्रिम पेशी की जानकारी हो पाई एवं ना ही अपील किस स्तर पर लम्बित है, की ही जानकारी हो पाई एवं अग्रिम पेशी में रैस्पो0 के रजिस्टर्ड सम्मन पेश नहीं करने के कारण, अपील अदम हाजरी,

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अदम पैरवी एवं अदम तकमील में खारिज हो गयी। भरतपुर के अभिभाषक की उक्त गलती का खामियाजा प्रार्थी/अपीलाण्ट को नहीं दिया जा सकता है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आर0आर0डी0 2012 पेज 838, 2005 पेज 134 एवं डी0एन0जे0 2006(1) पेज 551 का हवाला देते हुए, प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए, मूल अपील को नम्बर पर लिये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी का तर्क है कि अपील अदम तकमील में खारिज होने के कारण अब इसे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 सीपीसी, में वापस नम्बर पर नहीं लिया जा सकता है। ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील नहीं रिवीजन की जानी चाहिए। अतः प्रार्थना पत्र संधारणीय नहीं होने के कारण काबिल खारिजी है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हम पाते हैं कि मूल अपील पत्रावली पर आदेश दिनांक 23.08.2016 से अन्तरिम स्थगन आदेश पारित किया जाकर, रैस्पो0 की तलवी हेतु रजिस्टर्ड सम्मन तलवाना पेश करने के आदेश जारी करते हुए, अग्रिम पेशी कैम्प धौलपुर की नियत की गयी थी। अपीलाण्ट/प्रार्थी को रैस्पो0 की तलवी हेतु सम्मन तलवाना पेश करने हेतु दिनांक 23.08.2016 से कई अवसर दिये गये। किन्तु अपीलाण्ट/प्रार्थी द्वारा दिनांक 23.08.2016 से दिनांक 19.05.2017 तक, 9 माह का समय व्यतित होने के उपरान्त भी रैस्पो0 की तलवी हेतु रजिस्टर्ड सम्मन तलवाना पेश नहीं किये। तत्पश्चात् पत्रावली दिनांक 16.06.2017 को अपीलाण्ट/अभिभाषक के उपस्थित नहीं होने के कारण अदम हाजरी, अदम पैरवी एवं अदम तकमील में खारिज हुई। मूल अपील पत्रावली के अदम तकमील में खारिज होने पर प्रार्थी/अपीलाण्ट के अभिभाषक ने अपने शपथ-पत्र से समर्थित आदेश 41 नियम 19 सीपीसी का प्रार्थना पत्र दिनांक 14.07.2017 को इन कथनों के साथ पेश किया गया है कि अपील मुख्यालय भरतपुर पर पेश होकर, अग्रिम पेशी कैम्प धौलपुर में नियत होने की जानकारी भरतपुर के अभिभाषक द्वारा नहीं देने के कारण, अपीलाण्ट अग्रिम पेशी एवं कार्यवाही के बारे में जागरूक नहीं था इसलिए न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका। हमने मनन किया। हमारा सहज झुकाव प्रार्थी/अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आर0आर0डी0 2012 पेज 838, 2005 पेज 134 एवं डी0एन0जे0 2006(1) राज0 पेज 551 में प्रतिवादित सिद्धान्त की ओर है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि अपीलाण्ट को गुणावगुण पर सुनवाई का अधिकार दिया जाना चाहिए। न्यायालय का अस्तित्व पक्षकारों को न्याय उपलब्ध कराने के लिए हैं, तकनीकी आधार पर विवाद को उपेक्षा करना न्यायालय का ध्येय नहीं हो सकता है। अभिभाषक की त्रुटि से किसी पक्षकार को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता। केवल तकनीकी आधार पर निस्तारण से न्याय का हनन होता है। परन्तु हम यह भी पाते हैं कि प्रार्थी/अपीलाण्ट अपनी अपील के संचालन में लापरवाह रहा है, इस तथ्य को नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता। अपनी स्वयं की लापरवाही के रहते अनुतोष प्राप्त करने की पात्रता क्षीर्ण होती है। किन्तु इसकी पूर्ति कोस्ट से की जा सकती है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर, तकनीकी आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज करने के बजाय, अपील का गुणावगुण पर निर्णय करना अधिक न्यायोचित होगा। अतः हम प्रार्थना पत्र को कोस्ट पर स्वीकार किया जाना उचित पाते हैं।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

6. अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र, प्रार्थी द्वारा 1000/– रूपये, अक्षरे एक हजार रूपये कोस्ट विधिक सहायता समिति में जमा कराने की शर्त पर स्वीकार किया जाता है। कोस्ट जमा होने एवं मूल अपील पत्रावली में निर्देशित रजिस्टर्ड नोटिस तलवाना पेश होने पर अपील पुनः दर्ज रजिस्टर की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 17.05.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official